बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था02/02–04/2015 21 पटना, दिनांक- 07.09.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), सारण एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, कैमूर (भभूआ), अरवल, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं गोपालगंज।

विषयः– **मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101– समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से वाहन चालक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु ₹ 28,46,000/–(अट्ठाइस लाख छियालीस हजार रूपये) का आबंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–428/वि० दिनांक–31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रावधानित राशि को सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या–1857 दिनांक 24.08.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205– राज्य सांख्यिकी एर्जेसी, समूह शीर्ष–राज्य योजना, उप शीर्ष–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड–35-3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 एवं 2 से 19 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार, पटना होंगे जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

8/9/9/17

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
10. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1857 दिनांक 24.08.2017 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं उसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में आउट सोर्सिंग एजेंसी से सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक भुगतान के निमित नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।

विश्वासभाजन

6/9/17 — 06/9/17 — 7/9/17

बजट सहायक | प्रशाखा पदा0 | सहायक निदेशक | निदेशक

ज्ञापांक- 21 दिनांक- 07.9.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/17

निदेशक

ज्ञापांक- 21 दिनांक- 07.09.17

प्रतिलिपिः- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/17

निदेशक

ज्ञापांक- 21 दिनांक- 07.09.17

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश/श्री सुशील कुमार सिन्हा, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

7/9/17

निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन ईंधन एवं रख-रखाव	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 (संविदा) व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-	-	504000	504000
उप निदेशक (सांख्यिकी)							
2.	सारण	-	-	-	-	126000	126000
3.	मुंगेर	-	-	-	-	200000	200000
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
4	बक्सर	-	-	-	-	126000	126000
5	कैमूर(भभुआ)	-	-	-	-	126000	126000
6	अरवल	-	-	-	-	126000	126000
7	लखीसराय	-	-	-	-	126000	126000
8	शेखपुरा	-	-	-	-	126000	126000
9	जमुई	-	-	-	-	126000	126000
10	भागलपुर	-	-	-	-	126000	126000
11	बांका	-	-	-	-	126000	126000
12	अररिया	-	-	-	-	126000	126000
13	किशनगंज	-	-	-	-	126000	126000
14	सहरसा	-	-	-	-	126000	126000
15	मधेपुरा	-	-	-	-	126000	126000
16	दरभंगा	-	-	-	-	126000	126000
17	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	126000	126000
18	शिवहर	-	-	-	-	126000	126000
19	गोपालगंज	-	-	-	-	126000	126000
	कुल योगः-	-	-	-	-	2846000	2846000

(अट्ठाईस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र।

6/9/17 — बजट सहायक　　प्रशाखा पदा०　　6/9/17 — सहायक निदेशक　　7/9/17 — निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

9th Allotment, 06.09.2017